

20/12/21

पत्रावली आज पश्चात्तय गाँवों के संग
अभियान 2021 शिविर स्थल कैलावा कला
में प्रस्तुत हुई। प्राची अधिवक्ता उपस्थित
प्राची अधिवक्ता ने बहस में कथन किया
कि प्राथना पत्र उन्तर्गत धारा 136 राजस्थान
शु राजस्व अधिनियम 1956 के ग्राम
स्वामी उमगिरी की टाणी पहवार मण्डल
कैलावा कला के खसरा नं० 316
रकवा 116.4 बीघा में प्राची का नाम
के पिता का नाम श्रीलाराम पिता लाराम



राजस्थान के राजस्व विभाग
अधिसूचना अधिनियम, 1956

तारीख
हुमना

हुमना व खसरा संख्या 922, 923,
924, 929, 928, 930 संलग्न गावडी
संवत् 2093-2096 के खाता संख्या
37 में बनाराम पुत्र हलाराम वकी
तथा राम बाकी के चक-ग्र के खसरा
संख्या 111 में विशनाराम पुत्र हलाराम
हुमना जबकि सही नाम बनाराम पुत्र
हलाराम ही नै तीनों चक ही नाम के
सहित ही तहसीलदार बाकी के जवाब
की संलग्न रिपोर्ट में भोलाराम पुत्र
हलाराम तथा विशनाराम पुत्र हलाराम
की जगह बनाराम पुत्र हलाराम राजस्व
रेकॉर्ड में नाम सुद्धिकरण करना उचित है।
तहसीलदार बाकी की रिपोर्ट अनुसार।


आदेश

प्राची के पर्वना पत्र मन्मते धारा 136
राजस्थान शू राजस्व अधिनियम 1956
की पंजावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन
किया गया। प्राची अधिकार की बध्न
पर मनन किया गया। वाद बध्नमनन
ग्राम ^{स्वामी} ~~उत्तलिया~~ के खसरा संख्या 916
रकवा 116.4 बीघा तथा खसरा संख्या
922, 923, 924, 927, 928, 930
खाता संख्या 37 में तथा बाकी-चक
ग्र के खसरा संख्या 111 में तहसीलदार
बाकी के आदेशित किया जाता है।
कि भोलाराम पुत्र हलाराम व विशनाराम
पुत्र हलाराम की जगह बनाराम

सहायक कलेक्टर
अपज्ज अधिकारी, बाकी

तारीख
हुमना

पुत्र हलाराम कर जवाब बाकी के
अमल दराजद कर है। तहसीलदार बाकी
की जवाब रिपोर्ट उस आदेश का
भाग रहेगी। तहसीलदार बाकी के
आदेश पालनार्थ तहसीलदार की
पुत्रावली में अमल सुधार करके नकल
से काम दायित दफत है।


सहायक कलेक्टर एवं
अपज्ज अधिकारी, बाकी